

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15/5/2019

- कार्यालय ड्राफ्ट -

अंकित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सन 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद 2019 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2019 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अर्जोपेत नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता प्रति/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में दिखलेगा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकाश तथा नया सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर विस्तार निर्णय लिया गया -

ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से सलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संरक्षित सत्र 2019-20 हेतु समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।

आ: विभागाध्यक्ष संघीय स्तर पर प्रवेश के निश्चित समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संरक्षित तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20 प्रो लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निर्माकित शर्तों को शीघ्र पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	काउंसिल	कौन्सिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एंड मैनेजमेंट, लीरा, गोरखपुर	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था सत्र 2019-20 प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद/विनियमकारी 1982 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं अधिनियमों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन लाख हेतु 30,00,00/- अतिरिक्त दो करोड़ फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु 60- 45,00,00/- प्रयोग एवं एक लाख दो करोड़ पाठ्यक्रम (10 वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु 22,50,00 अतिरिक्त शुल्क ही प्रत्येक कक्षा/काउंसिल प्रवेश किया जाएगा। उपरोक्त को आलोच्यता छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में/समाप्त-समाप्त पर सातवें द्वारा निर्मित विधियों एवं आदेशों के अंतर्गत अन्य और अनुसंधान कार्यवाही शिक्षा आयोग अंतर्गत होगा। शीघ्र निर्धारित समिति द्वारा प्रति सत्र 2019-20 हेतु शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाएगा कि उसे शीघ्र ही नवीकरण पर लागू होगी।


 Principal
 Kastur Institute of Pharmacy
 & Management
 GIDA, Gorakhpur

- ✓ संस्था को (एनएन) प्राथमिक शिक्षा अभिवृत्ति (एन) रूप में (प्रिविज, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विभागाध्यक्षी-संस्था की कर्मों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त ज्येष्ठ शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त की ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों में रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्चतर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निम्न प्रस्तावों में अनुमोदन विहित एवं सम्बद्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।
- ✓ संस्था को (एनएन) प्राथमिक शिक्षा अभिवृत्ति में उच्चतम स्तर में अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्चतर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मों गठे विधि/विभाग/अभियंता/सहायक/निदेशी एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा (एनएन) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, (एनएन) तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, (एनएन) द्वारा कर्मों गठे विधान, विधान, आदेशों, निर्देशों का पालन करने का जिम्मे कार्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा कर्माधी प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रोबेशनरी नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में अन्याय नहीं है। (एन) इस समय में संस्था (एनएन) प्रवेश परीक्षा को प्राप्त की जायेगी और विहित रूप में किसी भी कार्यवाही में लिए संस्था (एन) प्रस्तावों (एन) प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश सरकार को कार्यवाही कर देकर किया जाता है तथा उच्चतर प्रदेश के संबंध में वा. आचार्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया (एन) प्रवेश परीक्षा निमित्त किया जाता है। (एन) प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ विद्यार्थी द्वारा कर्माधी प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर प्रोबेशनरी नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में अन्याय नहीं है। (एन) इस समय में संस्था (एनएन) प्रवेश परीक्षा को प्राप्त की जायेगी और विहित रूप में किसी भी कार्यवाही में लिए संस्था (एन) प्रस्तावों (एन) प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश सरकार को कार्यवाही कर देकर किया जाता है। (एन) प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ उच्चतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित परीक्षा (एनएन) प्रवेश परीक्षा को प्राप्त करने में अन्याय नहीं है। (एन) इस समय में संस्था (एनएन) प्रवेश परीक्षा को प्राप्त की जायेगी और विहित रूप में किसी भी कार्यवाही में लिए संस्था (एन) प्रस्तावों (एन) प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश सरकार को कार्यवाही कर देकर किया जाता है। (एन) प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं (एन) संस्था की (एन) प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश सरकार को कार्यवाही कर देकर किया जाता है। (एन) प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उच्चतर प्रदेश सरकार (एन) प्रवेश परीक्षा को प्राप्त करने में अन्याय नहीं है। (एन) इस समय में संस्था (एनएन) प्रवेश परीक्षा को प्राप्त की जायेगी और विहित रूप में किसी भी कार्यवाही में लिए संस्था (एन) प्रस्तावों (एन) प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश सरकार को कार्यवाही कर देकर किया जाता है। (एन) प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ संस्था को (एन) प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश सरकार को कार्यवाही कर देकर किया जाता है। (एन) प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ संस्था को (एन) प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश सरकार को कार्यवाही कर देकर किया जाता है। (एन) प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को जारी होगी।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

पुंजा- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तार दिनांक: 15-5-2019

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, कौशल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मासी एंड मैनेजमेंट, गौड़ा, गोरखपुर

92
(राजीव कुमार सिंह)
सचिव


Principal
Kailash Institute of Pharmacy
& Management
(GIDA), Gorakhpur

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय ड्राप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैबिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ को अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आदेशित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-3 में दियोगा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया -

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें गथावत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक: 14-09-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं. संस्था सं. संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1. 4829	कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेशी एंड मैनेजमेंट, गोरखपुर।	डिप्लोमा इन फार्मेशी	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०एम०सी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा नियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमधारी 1992, गैरकानूनी विनियमधारी-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निवेश समिति द्वारा स्थापित शुल्क तीन वार्षिक इजी० बाल्यक्रमों हेतु रु० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेशी पाठ्यक्रमों हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक फार्मेशी पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेशी पाठ्यक्रमों के अधिनियम) हेतु रु० 22,500.00/- प्रतिवर्ष का निवेश करेगी।



Principal
Kailash Institute of Pharmacy
& Management
GIDA, Gorakhpur

10) प्रशिक्षण शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जाएगा। संश्लेषण के अतिरिक्त छात्र/छात्रिका से शुल्क के अभाव में समय-समय पर शास्त्र द्वारा निर्गत किये जाने वाले शास्त्रमंडल प्रकाश होगे और उपरान्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित शर्तों द्वारा यदि वर्ष 2020-21 से शु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो छात्र को नवीनताएं पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। (विनियम-2019) की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था को सम्बद्ध प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के संकेत का कानूनी शर्तों में उल्लेख प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश शासन/प्रदेश के अनुसार शिक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/सीट/रिजल्ट/टीवीसीआर/से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उल्लेख प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों, अधिनियमों/शासक/देशों/निर्देशों पर निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उच्च, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कानूनी प्रावधानों की संख्या यदि पीपीआई, गुरु दिवसों से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संकेत में संस्था उल्लेख/निर्देश संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था तथा उल्लेख/देश होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उल्लेख प्रदेश शासन को कोई वाद बाधित किया जाये तो उक्त उल्लेख का उल्लेख द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कानूनी प्रावधानों/शर्तों/विधि/नियमों/देशों/निर्देशों को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उल्लेख प्रदेश उच्च शिक्षा द्वारा प्रेषित रूप के लिए आवाजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय/परिषद होने के पूर्व पीपीआई/आर/से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय/निर्देश के माध्यम से जमात संस्था स्तर पर सीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उल्लेख प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की एडमिशन/प्रवेश, प्रवेश, छात्र-संख्या, टाका/संख्या प्राप्त किया जाना बाध्य होगा, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु समुदाय कला/विकास कार्यक्रम करने के साथ ही संस्था में समस्त आवश्यक व्यय/सुविधाएं करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रम को सफल करने हेतु निर्देशक समिति के समस्त प्रावधानों/शर्तों/विधि/नियमों/देशों/निर्देशों/भूमि-समाप्त, कर्मचारी उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रावधानों के अभाव में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उल्लेख संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शुल्क का अनुमोदन न मिले जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शर्तों में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(श्री. आर.के. सिंह)
सचिव

पृष्ठ- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तारीख दिनांक: 15-09-2020

प्रतिनिधि-शास्त्र/निदेशक, कलाश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, गीदा, गोरखपुर।

(श्री. आर.के. सिंह)
सचिव


Principal
Kailash Institute of Pharmacy
& Management
GIDA, Gorakhpur

कार्यालय

उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश जखनऊ

संख्या: प्राविप/परिषद-सम्बद्धता/2021/3537

संख्या- दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय सापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यसेवा कंडक्शन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/00 जखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता प्रवेश/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्ध सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने गये निर्णय के अमुकण में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/00 जखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिस्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4829-KAILASH INSTITUTE OF PHARMACY & MANAGEMENT, GIDA, GORAKHPUR

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों एवं पूर्वोल: प्राप्ति करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली-1982, सेक्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य लिखित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्रमों हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से एक किया जायेगा। अरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 30/00 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदित प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बतये गये विधि/विधियों/अधिनियमों/शासनदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30/00, संयुक्त प्राविधिक परिषद, 30/00 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/00 द्वारा बतये गये विधियों, विधियों एवं आदेशों/निर्देशों का पालन करने में तैयार रहने की बाध्य होगी।


 Principal
 Kailash Institute of Pharmacy
 & Management
 GIDA, Gorakhpur

